



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () आ.राज. (सा.प्र.) / ननिज / 2013 / 378

दिनांक:- 11.3.13

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर यूनिपोल साईट, साईज (16'X8' एवं 30'X15') एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स नीलामी द्वारा लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर किया जायेगा।

नीलामी दिनांक 25.03.2013 एवं 28.03.2013 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनिपोल— मोती झूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, मानसरोवर जोन	25.03.2013	16'X8' साईज के यूनिपोल के 5,000/- रु. (पांच हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट
2.	यूनिपोल— सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व) एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर)	28.03.2013	16'X8' साईज के यूनिपोल के 5,000/- रु. (पांच हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट ट्राईएंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000 /- रु. (पांच हजार रु.)

नीलामी की प्रमुख शर्तें :—

- उपरोक्त यूनिपोल एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड) पर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यूनिपोल एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड) पर की नीलामी एकसाथ की जावेगी।

S. Meena
11/3/13

3. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
4. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
5. यूनिपोलों एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
6. नीलामी की अन्य शर्तें एवं यूनिपोल एवं ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर की सूची व शर्तों की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट प्रिंट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।

-sd-

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की व्यवस्था करें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मार्च 2013

- नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-
1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेचर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
 2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16X8 फीट साइज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 3. प्रत्येक 16X8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रुपये तथा प्रत्येक 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद बापिस कर दी जायेगी।
 4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोरय घोषित कर दिया जायेगा।
 5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों का (01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) तक के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा करना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। दूसरे वर्ष 16X8 फीट साइज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा करना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
 6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटाये जायेगा।
 7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
 8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अधिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
 9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर यूनिपोल नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जायेगा।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विषदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका बहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अपलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिविधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।
28. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मार्च 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जावेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
4. नीलामी के पश्चात एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात् 60 दिवस में नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेन्स को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

10. लाईसेंस अधिकारी समाप्ति पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम द्वाइंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स में लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में येश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
13. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करें ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर निगमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्व भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यवित नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।
29. सभी द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।


 लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

मोतीझूंगरी जोन

साईट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
MDZ-01	16' X 8'	टोक रोड, अजमेरी गेट, एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।
MDZ-02	16' X 8'	टोक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1
MDZ-03	16' X 8'	टोक रोड, अशोक मार्ग, तिराहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. MDZ-2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानांतर।
MDZ-04	16' X 8'	टोक रोड, उपरोक्त के सामने स्लिप लाईन पर महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1
MDZ-05	16' X 8'	टोक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2
MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय वलब की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।
MDZ-10	16' X 8'	टोक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।
MDZ-11	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1
MDZ-12	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2
MDZ-17	16' X 8'	मोतीझूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1
MDZ-54	16' X 8'	गोविन्द मार्ग, पागल खाने की दीवार के पास, भैरव फिलंग स्टेशन के सामने नाले के पास।
MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानांतर मालवीय नगर की ओर से वि.प.नं. 1।
MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वे दीवार के पास फुटपाथ पर।
MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनकलेव स्कीम के सामने रेल्वे क्वार्टर के बाहर रेल्वे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।
MDZ-77	30' X 15'	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन रोड ROB से पश्चिम की ओर रेल्वे कम्पाउण्ड वाल के पास अजमेरी गेट देखते हुए।
MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।
MDZ-79	30' X 15'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, रिलायन्स पेट्रोल पम्प से थोड़ा आगे मंदिर की दीवार के पास।
MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेंट लॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।
MDZ-84	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मुख्यधीर स्कूल के दक्षिण गेट के पास।
MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेल्वे फाटक रेल्वे दीवार के पास मालवीया नगर देखता हुआ।
MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेल्वे फ्लेट्स के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013

साईंज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईंज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ-03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ-10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी-पश्चिमी ओर	
4.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-16	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 3	
6.	VDZ-18	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 2	
7.	VDZ-19	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 की दीवार के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 2	
8.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
9.	VDZ-26	16'X8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैर्टर्स के पास दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
10.	VDZ-27	16'X8'	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर।	
11.	VDZ-37	16'X8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने फ्लेट्स की दीवार के पास।	
12.	VDZ-39	16'X8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
13.	VDZ-40	16'X8'	पानीपेच तिराहे पर बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती के पास झोटवाडा देखते हुए।	
14.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल इमशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
15.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
16.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कांवटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
17.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईंट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैन्टीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW
18.	VDZ-59	30' X 15'	वलैकट्री सर्किल, अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
 (पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मानसरोवर जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुए।	
2.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
4.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
5.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास।	
6.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर।	NEW
7.	MSZ-52	30' X 15'	टोक रोड, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
8.	MSZ-59	30' X 15'	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	
9.	MSZ-60	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रॉफिनल 2 एयरपोर्ट रोड पर, जय गुरुदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखता हुआ।	
10.	MSZ-61	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रॉफिनल 2 एयरपोर्ट रोड पर वेदविहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखता हुआ।	
11.	MSZ-62	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
12.	MSZ-63	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
1.	CLZ - 12	16' X 8'	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास सहकार भवन देखते हुए।
2.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेंट प्रेस सर्किल, एम.इ.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।
3.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3
4.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, कर्णीस रोड, आम्रपाली तिराहे पर मिलेकट्री की दीवार के सहारे।
5.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।
6.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।
7.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1
8.	CLZ - 91	16'X8'	संसार चन्द्र रोड होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर।
9.	CLZ - 96	16'X8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 1

००८

०१-



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
 (पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-40	16'X8'	टॉक रोड, हल्दीघाटी चौराहा से पहले पश्चिमी ओर, टॉक रोड देखते हुए।	
2.	SNZ-42	16' X 8'	टॉक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ-44	16' X 8'	टॉक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
4.	SNZ -53	16' X 8'	टॉक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पालर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुए।	
5.	SNZ -54	16' X 8'	टॉक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
6.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
7.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
8.	SNZ -59	30' X 15'	टॉक रोड सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
9.	SNZ -60	30' X 15'	टॉक रोड सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी-पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टॉक रोड देखता हुआ।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मार्च 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

आमेर जोन

स्थान का विवरण		
क्र. स.	साइट नम्बर	साईज
1.	AMZ-01	30' X 15'
		आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उधान के सामने, पार्किंग के पास फुटपथ पर
2.	AMZ-02	16' X 8'
		आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3।
3.	AMZ-03	16' X 8'
		आमेर, होटल के के रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।
4.	AMZ-04	16' X 8'
		आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति विलनिक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।
5.	AMZ-08	16' X 8'
		आमेर रोड, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए।
6.	AMZ-09	16' X 8'
		आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 1
7.	AMZ-16	30' X 15'
		जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।
8.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'
		आमेर रोड कुण्डा ज्योति विलनिक के पास।

हवामहल (पूर्व)

स्थान का विवरण		
क्र. स.	साइट नम्बर	साईज
1.	HMZ (E)-07	16'X8'
		दिल्ली रोड बाईपास, बन्ध की घाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3
2.	HMZ(E)-18	30' X 15'
		आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।

०८८

Ar



कार्यालय नगर निगम जयपुर
ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलामी सूची, मार्च 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।

०५८

१२

Bru
St
1910313